रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 417] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 21, 1976/भाद्र 30, 1898

No. 417] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 21, 1976/BHADRA 30, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September 1976

S.O. 626(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 1976, as the date on which the provisions of section 17 and sections 23 to 31 (both inclusive) of the said Act shall come into force in the whole of India.

[No. V.26011/4/76-Ay.Desk.]

SHRAVAN KUMAR, Jt. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1976

का० आ० 626(अ).—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 (1970 का 48) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पहली अक्तूबर 1976 का दिन निश्चित करती है जब से उक्त अधिनियम की धारा 17 और 23 से 31 (दोनों को मिलाकर) धाराओं के उपबंध सारे भारत में लागू होंगे।

[सं० वी 26011/4/76-आयु० डेस्क]

श्रावण कुमार, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976